राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. दीवानी द्वितीय अपील सं. 121/2017

1. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
2. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही (राज.)
3. सर्वेयर एवं हलका अधिकारी आबू रोड क्षेत्र खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही (राज.)

----अपीलार्थीगण

बनाम

राजेंद्र कुमार पुत्र श्री ढालू राम, जाति खत्री, निवासी मानपुर, आबू रोड, मालिक मैसर्स बाबा क्रैशिंग कंपनी, आबू रोड, तहसील आबू रोड, जिला सिरोही (राज.)

----प्रत्युत्तरदाता

.....

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री आदित्य गुप्ता

श्री ललित पारीक

प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री अमित व्यास

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् योगेन्द्र कुमार पुरोहित

आदेश

21/04/2025 को आरक्षित

08/05/2025 को उच्चारित

रिपोर्ट-योग्य

01. अपीलार्थीगण की ओर से यह द्वितीय अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड जिला सिरोही के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2009 व उसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, आबूरोड जिला सिरोही के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2016, जिसके द्वारा अपीलार्थी की प्रथम अपील खारिज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई थी, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि तहसील आबू रोड़ के गांव पाण्डुरी में खसरा नम्बर 319 में वादी की लीज–होल्ड राईट्स की लाईम स्टोन (क्रेशर हेतु) खान है, जिसका खनन पट्टा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी के हक में कुल 7192 वर्गमीटर क्षेत्रफल का बीस वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत होकर दिनांक 06.04.1998 को निष्पादित हुआ और उप–पंजीयाक आबूरोड़ के कार्यालय में पंजीबद्ध है साथ ही खनन पट्टेशुदा भूमि से लगते हुए खसरा नम्बर 319 में तीन बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या तीन ने दिनांक 03.03.1998 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित घोषित करने से महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सिरोही से स्टोन ग्रीट्स (क्रेशर उद्योग) हेतु 99 वर्ष के पट्टे पर देकर दिनांक 04.04.1998 को पट्टा विलेख निष्पादित कर उप–पंजीयक आबूरोड़ के कार्यालय में पंजीबद्ध है। प्रतिवादी की ओर से खनन कार्य ग्रीट्स उद्योग के संचालन को

तत्काल प्रभाव से बंद करने की धमकी दी। जिस पर वाद–पत्र प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया।

03. प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से जवाब दावा प्रस्तुत कर जो 7192 वर्ग मीटर का खनन पट्टा 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया वह खसरा नम्बर 241 में स्थित होना, खसरा नम्बर 319 में स्थित नहीं होना बताया और जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई वह खसरा नम्बर 319 में क्रेशर की स्थापना के लिए की गई थी, जिसका पट्टा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सिरोही द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया है और खनन पट्टा क्रेशर से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है परंतु वादी द्वारा अनाधिकृत रूप से क्रेशर के पास ही खनन कार्य किया जा रहा है। इस आधार पर वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

04. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर कुल 7 विवाद्यक कायम किए गए। वादी की ओर से बतौर पी.डब्ल्यू01 वादी राजेन्द्र कुमार स्वयं परीक्षित हुआ व 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।

05. प्रतिवादी पक्ष को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पक्षकारान के अभिभाषकगण की सुनी जाकर विवाद्यक संख्या 1 से 6 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध करते हुए वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण को

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई।

06. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 से 6 का निर्णय जो वादी के पक्ष में किया गया, उसकी पुष्टि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की और प्रथम अपील खारिज की। जिस पर यह द्वितीय अपील, अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है।

07. अपीलार्थीगण की ओर से द्वितीय अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से जिस समय माइनिंग लीज दी गई थी, उस समय के माइनिंग इंजीनियर, सिरोही का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वादी को खसरा नम्बर 241 व 394/239 की कृषि भूमि पर माइनिंग लीज दी गई थी, जिसके बाबत हलका पटवारी द्वारा माइनिंग लीज के समय रिपोर्ट तैयार की गई थी और दूसरी रिपोर्ट दिनांक 05.06.2014 को तैयार की गई थी जो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई है। उन शपथ–पत्र व हलका पटवारी की रिपोर्ट से जो अलॉटमेंट किया गया, वह खसरा नम्बर 319/3 से डेढ़ किलो मीटर दूर है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा शपथ-पत्र/दस्तावेज को निर्णय में रेफर ही नहीं किया और उस पर इग्नौर करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो निर्णय विधि विरुद्ध होना बताया है व अपील में यह भी निवेदन किया कि प्रदर्श 10 में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं होने के बावजूद ट्रेस नक्शा व डिमार्केशन रिपोर्ट के आधार

पर खसरा नम्बर 319 में आवंटन होना मानने में विधिक भूल की है। इस आधार पर अपनी अपील में 5 सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) प्रस्तावित किए गए तथा अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री 22.08.2016 व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2009 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

08. बहस एडमिशन सुनी गई।

09. द्वितीय अपील को विचारार्थ ग्रहण करने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि इस मामले में कोई सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) विद्यमान है अथवा नहीं, जो धारा 100 सी.पी.सी. के मुताबिक 1976 में हुए संशोधन के पश्चात होना आवश्यक है।

10. द्वितीय अपील के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत नजीर मोहम्मद बनाम जे. कमला व अन्य [2020] 0 एआईआर (एससी) 4321 के मामले में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत पर विचार करते हुए पैरा संख्या 25, 26, 29 से 37 में निम्नानुसार विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है:-

> 25. द्वितीय अपील, या इस मामले में, कोई भी अपील अधिकार का विषय नहीं है। अपील का अधिकार क़ानून द्वारा प्रदत्त है। द्वितीय अपील केवल विधि के किसी सारवान प्रश्न पर ही की जा सकती है। यदि क़ानून अपील का सीमित अधिकार प्रदान करता है, तो न्यायालय

अपील के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता। प्रतिवादी-वादी के लिए द्वितीय अपील में तथ्यों को पुनः उठाना या उच्च न्यायालय से साक्ष्य का पुनः विश्लेषण या पुनर्मूल्यांकन करने की अपेक्षा करना उचित नहीं था।

26. यथा संशोधित सीपीसी की धारा 100, द्वितीय अपील के अधिकार को केवल उन्हीं मामलों तक निर्बंधित करती है, जहाँ विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो। सीपीसी की धारा 100 के तहत अधिकारिता के प्रयोग के लिए "विधि के सारवान प्रश्न" का अस्तित्व अनिवार्य है।

29. यह तय करने के सिद्धांत कि कब विधि का कोई प्रश्न सारवान विधि का प्रश्न बन जाता है, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सर चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, एआईआर 1962 एससी 1314 में प्रतिपादित किए गए हैं, जहां इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था: "इस मामले में उठाया गया विधि का प्रश्न सारवान है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह सीधे और सारवान रूप से पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह इस न्यायालय या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है या यह कठिनाई से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों पर चर्चा की मांग करता है। यदि प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया जाता है या प्रश्न का अवधारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत सुस्थापित हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का

मात्र प्रश्न है या उठाया गया तर्क स्पष्ट रूप से बेतुका है तो प्रश्न विधि का सारवान प्रश्न नहीं होगा।"

30. हीरो विनोद बनाम शेषम्मल, (2006) 5 एससीसी 545 में, इस न्यायालय ने चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड सन्स (उपर्युक्त) तथा अन्य निर्णयों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा करते हुए उन परीक्षणों का सार प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि प्रश्नों का कोई दिया गया समूह केवल विधि के प्रश्न थे या विधि के सारवान प्रश्न थे।

31. हीरो विनोथ (उपर्युक्त) में उपवर्णित इस न्यायालय के निर्णय के सुसंगत पैरा इसमें नीचे दिए गए हैं:

> “21. संशोधित धारा 100 सीपीसी में प्रयुक्त वाक्यांश “विधि का सारवान प्रश्न”, संहिता में परिभाषित नहीं है। “विधि के प्रश्न” को योग्य बनाने के लिए सारवान शब्द का अर्थ है सारवान, आवश्यक, वास्तविक, सार्थक, महत्वपूर्ण या विचारणीय। इसे तकनीकी, सारहीन या परिणामहीन, या केवल शैक्षणिक के विपरीत कुछ समझा जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने “सामान्य महत्व के” शब्दों को प्रत्यय देकर “विधि के सारवान प्रश्न” के दायरे को योग्य नहीं बनाने का विकल्प चुना है, जैसा कि संहिता की धारा 109 या संविधान के अनुच्छेद 133(1)(ए) जैसे कई अन्य प्रावधानों में किया गया है। विधि का सारवान प्रश्न, जिस पर दूसरी अपील सुनी जाएगी, जरूरी नहीं कि सामान्य महत्व का कानून का सारवान प्रश्न हो। गुरन दित्ता बनाम राम दित्ता [(1927-28) 5I5 आईए 235: एआईआर 1928 PC 172] में वाक्यांश विधि का सारवान

प्रश्न जैसा कि यह तत्कालीन मौजूदा धारा 100 सीपीसी (संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा छोड़े गए) के अंतिम खंड में नियोजित किया गया था, विचार के लिए आया और उनके लॉर्डशिप ने अभिनिर्धारित किया कि इसका अभिप्रेत सामान्य महत्व का सारवान प्रश्न नहीं था बल्कि कानून का एक सारवान प्रश्न था जो मामले में शामिल था। सर चुन्नीलाल मामले में [1962 एसयूपीपी (3) एससीआर 549: एआईआर 1962 एससी 1314] संविधान पीठ ने रिम्मलपुडी सुब्बा राव बनाम नूनी वीरजू [एआईआर 1951 मैड 969: (3) एससीआर 549: (1951) 2 एमएलजे 222 (एफबी)] में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ सहमति व्यक्त की: (सर चुन्नीलाल मामला [1962 सप्प एआईआर 1962 एससी 1314], एससीआर पृ. 557)

"जब कोई विधि का प्रश्न पर्याप्त रूप से तर्क-योग्य हो, जहाँ उस पर मतभेद की गुंजाइश हो या जहाँ न्यायालय ने उस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना और वैकल्पिक विचारों पर चर्चा करना आवश्यक समझा हो, तो वह प्रश्न विधि का एक सारवान प्रश्न होगा। दूसरी ओर यदि प्रश्न व्यावहारिक रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा आच्छादित था या यदि प्रश्न का अवधारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत भली-भांति स्थापित हैं और एकमात्र प्रश्न मामले के विशिष्ट तथ्यों पर उन सिद्धांतों को लागू करने का था, तो यह विधि का सारवान् प्रश्न नहीं होगा।"

32. विधि का प्रश्न "सारवान" होने के लिए विचार-विमर्श योग्य होना चाहिए, न कि देश की विधि या किसी बाध्यकारी पूर्व निर्णय द्वारा पूर्व में स्थापित, और यदि उसका उत्तर किसी भी रूप में दिया जाए, तो उसका मामले के निर्णय और/या उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों पर तात्विक प्रभाव होना चाहिए।

33. किसी विधि के प्रश्न को "मामले में अंतर्वलित होने" के लिए, प्रथम, अभिवचनों में इसके लिए एक आधार रखा जाना चाहिए, और प्रश्न को तथ्यों के न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचे गए संधार्य तथ्यों के निष्कर्षों से उत्पन्न होना चाहिए, और मामले के न्यायपूर्ण और उचित निर्णय के लिए उस विधि के प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक होना चाहिए।

34. जहां विधि का ऐसा कोई प्रश्न, और न ही विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न, विचारण न्यायालय या प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, जैसा कि इस मामले में है, द्वितीय अपील ग्रहण नहीं की जा सकती, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पंचगोपाल बरुआ बनाम दिनेश चंद्र गोस्वामी, एआईआर 1997 एससी 1047 में अभिनिर्धारित किया गया है।

35. कोई विधि का प्रश्न सारवान है या नहीं और ऐसा प्रश्न मामले में अंतर्वलित है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सर्वोपरि समग्र विचारणा यह है कि सभी चरणों में न्याय करने के अपरिहार्य बाध्यता और किसी भी मुकदमे की अवधि को बढ़ाने से बचने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी, (2001) 3 एससीसी 179 से समर्थन मिलता है।

36. द्वितीय अपील में, चूंकि उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि के सारवान प्रश्न तक सीमित है, इसलिए तथ्य का निष्कर्ष द्वितीय अपील में चुनौती के लिए खुला नहीं है, भले ही साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हो और तथ्य का निष्कर्ष गलत हो, जैसा कि रामचंद्र बनाम रामलिंगम, एआईआर 1963 एससी 302 में अभिनिर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम बार उठाया गया पूर्णतः नया बिंदु, मामले में अंतर्वलित प्रश्न नहीं है, जब तक कि वह मामले की जड़ तक न जाता हो।

37. इस मामले के लिए प्रासंगिक धारा 100 सीपीसी से संबंधित सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) किसी दस्तावेज के कथनों या अंतर्वस्तुओं से तथ्य का निष्कर्ष निकालना तथ्य का प्रश्न है, किन्तु किसी दस्तावेज के निबंधनों का विधिपूर्ण प्रभाव विधि का प्रश्न है। किसी दस्तावेज का अर्थान्वयन, जिसमें विधि के किसी सिद्धांत का अनुप्रयोग अंतर्वलित हो, वह भी विधि का प्रश्न है। अतः, जब किसी दस्तावेज का गलत अर्थान्वयन किया जाता है या दस्तावेज का अर्थान्वयन करने में विधि के किसी सिद्धांत का गलत अनुप्रयोग किया जाता है, तो यह विधि के प्रश्न को जन्म देता है।

(ii) उच्च न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मामला विधि का एक सारवान प्रश्न है, न कि केवल विधि का प्रश्न। विधि का कोई प्रश्न जिसका मामले के निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो (अर्थात, ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर वाद के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता हो) विधि का एक सारवान प्रश्न होगा, यदि वह विधि के किसी विशिष्ट

प्रावधान या बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों से उत्पन्न स्थापित विधिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और जिसमें कोई विचार-विमर्श योग्य विधिक मुद्दा शामिल है।

(iii) विधि का एक सारवान प्रश्न किसी विपरीत स्थिति में भी उठेगा, जहाँ विधिक स्थिति स्पष्ट है, या तो विधि के स्पष्ट प्रावधानों या बाध्यकारी उदाहरणों के कारण, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मामले का निर्णय, या तो ऐसे विधिक सिद्धांत की अनदेखी करके या उसके विपरीत कार्य करके किया है। दूसरे प्रकार के मामलों में, विधि का सारवान प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि विधि अभी भी विवादास्पद है, बल्कि इसलिए उठता है क्योंकि किसी सारवान प्रश्न पर दिया गया निर्णय, विधि की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करता है।

(iv) सामान्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यह कोई पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सुप्रसिद्ध अपवाद इस प्रकार हैं: (i) निचली अदालतों ने ठोस सबूतों को छोड़ दिया हो या बिना सबूत के कार्रवाई की हो; (ii) न्यायालयों ने कानून को गलत तरीके से लागू करके सिद्ध तथ्यों से गलत निष्कर्ष निकाले हों; या (iii) न्यायालयों ने सबूत का भार गलत तरीके से डाला हो। बिना सबूत के आधार पर लिया गया फैसला केवल उन मामलों को ही संदर्भित नहीं करता जहाँ सबूतों का पूर्ण अभाव हो, बल्कि उन मामलों को भी संदर्भित करता है जहाँ समग्र रूप से लिया गया

सबूत, निष्कर्ष का समर्थन करने में उचित रूप से सक्षम नहीं है।

11. पूर्व में वर्णित नजीर मोहम्मद वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया। हस्तगत मामले में मुख्य रूप से अपीलार्थीगण का यह आधार है कि अपीलार्थीगण की ओर से एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में मूलसिंह देवड़ा पुत्र चैनसिंह देवड़ा हाल खनिज अभियंता का शपथ–पत्र दिनांकित 09.07.2014 रिकॉर्ड पर है, जो अपीलीय न्यायालय में दिनांक 09.07.2014 को फर्द अहकाम अपर जिला न्यायाधीश, आबू रोड़ के मुताबिक पेश होना स्पष्ट है। परंतु अपील में यह अंकित नहीं किया कि आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत कोई आवेदन-पत्र, शपथ-पत्र के साथ पेश किया अथवा नहीं। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में कोई प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. संलग्न नहीं है। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनकी ओर से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया। इस संबंध में आदेश 41 नियम 27 व 28 सी.पी.सी. सुसंगत है जो निम्नानुसार है:-

नियम 27. अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(1) अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने के हकदार नहीं होंगे, किन्तु यदि-

(क) वह न्यायालय, जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था, अथवा

(कक) अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के इच्छुक पक्षकार यह सिद्ध करता है कि सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद, वह साक्ष्य उसके संज्ञान में नहीं था, या सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी, वह उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था जब वह डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित की गई थी, अथवा

(ख) अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने की आवश्यकता हो, या किसी अन्य सारवान कारण से, तो अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या साक्षी की परीक्षा करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जहां कहीं अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, वहां न्यायालय उसकी स्वीकृति का कारण अभिलिखित करेगा।

नियम 28. अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति।

> जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, वहां अपीलीय न्यायालय या तो ऐसा साक्ष्य ले सकता है, या उस न्यायालय को, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा साक्ष्य लेने और अपीलीय न्यायालय में ले जाए जाने पर उसे भेजने का निर्देश दे सकता है।

12. आदेश 41 नियम 27 व 28 सी.पी.सी. को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि बिना न्यायालय की अनुमति के अतिरिक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अपीलीय न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती और आदेश 41 नियम 27 में अतिरिक्त साक्ष्य के लिए अपीलीय न्यायालय कब अनुमति देगा, उसका उल्लेख भी आदेश 41 नियम 27 में स्पष्ट रूप से किया गया है और आदेश 41 नियम 28 के मुताबिक जब अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी जाती है तो कोई मौखिक साक्ष्य लेनी होती है तो अपीलीय न्यायालय या तो स्वयं ले सकता है या उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है, जिसके द्वारा निर्णय एवं डिक्री विचारण के दौरान पारित किया गया है या या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को भी इस बाबत निर्देशित कर सकता है।

13. इस मामले में स्वीकृत रूप से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत कोई आवेदन–पत्र अपीलार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया, उस अवस्था में जो शपथ–पत्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील के समय पेश किया वह शपथ–पत्र विधिनुसार सुसंगत नहीं हो सकता और प्रथम अपीलीय न्यायालय ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार नहीं कर

सकता, जिसकी कि अनुमति प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा न दी गई हो। ऐसी अवस्था में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर विचार नहीं करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है अतः प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थीगण द्वारा जो आधार लिया गया कि उनकी ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया, उससे इस अपील में कोई सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) उत्पन्न नहीं होता।

14. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर और जमाबंदी व ट्रेस नक्शे के आधार पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि खसरा नम्बर 319/3 में ही 7192 वर्ग मीटर के लिए खनन पट्टा दिया गया था, दोनों न्यायालयों की इस तथ्य के विषय पर समवर्ती निष्कर्ष concurrent findings उपलब्ध है और अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से जवाब देही के अलावा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रथम अपीलीय न्यायालय में भी विधिनुसार आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी सूरत में इस संबंध में कि खनन पट्टा खसरा नम्बर 319/3 के लिए दिया गया अथवा खसरा नम्बर 241 के लिए कोई सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता।

15. ऐसी अवस्था में इस मामले में किसी प्रकार का सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) उत्पन्न होना नहीं पाए जाने से अपील अपीलार्थी एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 100 सी.पी.सी. एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है और स्थगन प्रार्थना–पत्र का भी निस्तारण किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय को भेजी जावे।

(योगेंद्र कुमार पुरोहित),जे

301-मयंक/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी